रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-770/2026/513/22-2-2026-17(255)/2026

लखनऊ: दिनांक: 17 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामनरेश (बन्दी सं0-28209) पुत्र श्री सालिगराम, जो ग्राम-नगला भगवान, थाना-शाहाबाद, जनपद-हरदोई का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-286/1982 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 307/149, 147 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 12.11.1999 द्वारा आजीवन कारावास के सजा से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 03.05.2018 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 08.06.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 07 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 09 माह, 11 दिन की सजा भोगी जाने, सन्तोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-770/2026/513(1)/22-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

3- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in